

न्यायालय तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ, जिला झुंझुनूं
पीठासीन अधिकारी :::: स्वाति(तहसीलदार)

मिसल नं. :::: 12/2024

सरकार बनाम् भरतसिंह पुत्र रामचन्द्र, जाति -मेघवाल, निवासी-
ढाणी चौहान

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 05.02.2024

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल भरतसिंह पुत्र रामचन्द्र, जाति -मेघवाल, निवासी- ढाणी चौहान द्वारा रोही मौजा ढाणी चौहान की भूमि ख.नं. 395/56 के कुल रकबा 21.85 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.03 है० भूमि पर मकान व बाडा बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया। जिसमें अपना कब्जा पुराना बताया है तथा अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में अन्य कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया। गैर सायल का जवाब संतोषप्रद नहीं माना जा सकता है। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु.जोहड़ है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536/ 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नादी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/ नियमन पर प्रतिबन्ध है। एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 43 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति)

तहसीलदार, सूरजगढ

र० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं..... 46पर
वर्ष 23-27में रुपये 436 कायम किए
राजस्व लेखाकार